विपणन संघ

म0 प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

मुख्यालय जहांगीराबाद भोपाल

फोन नं0– 0755–2678468, 2678402 ई–मेल– gmmarketing123@gmail.com,

क्र0 / उपा0एवंमि0 / धान परिवहन / 5551 / 2016 भोपाल, दिनांक / 6.10.2016

आदेश

इस कार्यालय के ज्ञाप क्र0 / उपा0एवंमि0 / गेहूँ परिवहन / 5092 / 2016 भोपाल, दिनांक 23.09.2016 से फर्म मे0 नर्मदा इंटरप्राइजेज बल्देवबाग जबलपुर को विपणन संघ में परिवहन कार्य हेतु आगामी 10 वर्षो के लिए अपात्र घोषित करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जारी कारण बताओ सूचना पत्र निम्न बिंदु पर जारी किया गया :–

मे0 नर्मदा इंटरप्राइजेज जबलपुर राज्य शासन की खाद्यान्न यथा गेहूँ धान एवं मक्का उपार्जन हेतु नोडल एजेंसी म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के जबलपुर जिले मे वर्ष 2015–16 का गेहूँ शहपुरा की राज्य भंडार गृह निगम अंतर्गत गोदाम से मण्डी जबलपुर व रिछाई जबलपुर मे परिवहन करने हेतु परिवहनकर्ता भी थे, आपके जबलपुर जिले में अवैध गेहूँ परिवहन कार्य में सम्मिलित होने के कारण म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा आदेश क्र0 / परिवहन / 2016–17 / 308 भोपाल दिनांक 14.06.2016 से मे0 नर्मदा इंटरप्राइजेज जबलपुर को निगम के संपूर्ण कार्यक्षेत्र में आगामी 10 वर्षो तक कार्य करने से बाधित किया गया है।

जारी कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर फर्म द्वारा पत्र दिनांक 27.09.2016 से प्रस्तुत किया गया है, जिसमे फर्म द्वारा उल्लेख किया गया है कि " म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि0 मुख्यालय द्वारा बिना नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 02.06.2016 को परिवहन कार्य के कारण ब्लेक लिस्ट करना वैधानिक रूप से सही नही है। म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि0 भोपाल द्वारा ब्लेक लिस्ट करने के संबंध मे जो प्रकिया अनुबंध अनुसार निर्धारित की गई है उसका पालन नही किया गया न ही मुझे कोई नोटिस दिया गया, न ही समक्ष मे सुनवाई का अवसर दिया गया सीधे ब्लेक लिस्ट करने संबंधी आदेश जारी कर दिया। हमारे द्वारा सूचना का अधिकार अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी जबलपुर से ब्लेक लिस्ट के संबंध मे की गई कार्यवाही की जानकारी मांगी गई है जो वर्तमान मे अप्राप्त है। दिनांक 02.06.2016 को गेहूँ संबंधी घटना के संबंध मे बरगी थाना जिला जबलपुर द्वारा जिस ट्रक में गेहूँ गया थ उस ट्रक के मालिक एवं ड्रायवर के विरूद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय मे विचाराधीन है। संबंधित ट्रक ड्रायवर एवं ट्रक मालिक के विरूद्ध गेहूँ की अफरा–तफरी के संबंध मे बरगी थाना जिला जबलपुर में प्रथम सूचना प्रतिवेदन भी दर्ज किया गया है, खाद्य नियंत्रक जबलपुर द्वारा भी इस प्रकरण की जांच कराई गई थी। जांच प्रतिवेदन अनुसार भी संबंधित ट्रक ड्रायवर / मालिक को दोषी माना गया है। जिस गेहूँ के संबंध में हमें आरोपित बनाने की कोशिश की गई थी वह गेहूँ बरगी थाने से वापिस म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि0 जबलपुर के गोदाम मे जमा हो चुका है। गेहूँ के अवैध परिवहन संबंधी प्रकरण माननीय न्यायालय मे विचाराधीन है। दोनों प्रकरण माननीय न्यायालय मे विचाराधीन रहने के कारण इस संबंध मे कोई भी कार्यवाही करने का वैधानिक अधिकार आपको नही हैं। "

फर्म द्वारा समक्ष में यह अनुरोध किया गया कि म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ पृथक–पृथक संस्थाये हैं जिनके द्वारा पृथक–पृथक परिवहन हेतु निविदाये आमंत्रित की जाती हैं एवं दोनो संस्थाओ के पृथक–पृथक निविदा दस्तावेज एवं निविदा शर्ते होती हैं तथा दोनो संस्थाओ में पृथक–पृथक अनुबंध भी निष्पादित किये जाते है, फर्म द्वारा विपणन संघ द्वारा सौपे गये परिवहन कार्य को नियमानुसार एवं समय पर संतोष प्रद ढंग से संपादित किया गया है। ऐसी स्थिति में म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा फर्म को ब्लेक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही के आधार पर म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा ब्लेक लिस्ट किया जाना अवैधानिक एवं फर्म के मौलिक अधिकारो का हनन है। अतः फर्म के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही को नस्तीबद्ध किये जाने का अनुरोध है।

अतः उभयपक्षीय कार्यवाही करते हुए मे0 नर्मदा इंटरप्राइजेज बल्देवबाग जबलपुर को जारी कारण बताओ सूचना पत्र, उनके उत्तर, निविदा दस्तावेज की शर्तो एवं म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा जारी किये गये आदेश का परीक्षण किया गया। परीक्षण मे पाया गया कि म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा प्रतिबंध अपने कार्यो के लिए ही लगाया गया है। म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा परिवहन कार्य हेतु पृथक से निविदाये आमंत्रित की जाती है, तथा सफल निविदाकारो से पृथक से अनुबंध किये जाते है तथा निविदा दस्तावेज की शर्ते भी पृथक रहती है, और न ही म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा ब्लेक लिस्ट किये जाने के आधार पर म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा फर्म को ब्लेक लिस्ट किये जाने संबंधी शर्त निविदा दस्तावेज मे है। ऐसी स्थिति में फर्म को म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा ब्लेक लिस्ट किये जाने का कोई वैधानिक आधार न होने के परिणाम स्वरूप शिकायत के आधार पर की गई कार्यवाही नस्तीबद्ध की जाती है।

(बी0एम0शर्मा)
प्रबंध संचालक

पृ0 क0/उपा0एवंमि0/धान परिवहन/5551/2016 — भोपाल, दिनांक 10.10.2016

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 भोपाल।
4. मुख्यलेखाधिकारी सहवित्तीय नियंत्रक, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल।
5. सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल। कृपया उक्त आदेश को संघ की बेबसाइट मे अपलोड करावें।
6. मंडल प्रबंधक, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, ––––––(समस्त)।
7. जिला विपणन अधिकारी, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, ––––––––––––(समस्त)।
8. श्री राजेंद्र अग्रवाल प्रोपाईटर मे0 नर्मदा इंटरप्राइजेज बल्देवबाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

प्रबंध संचालक